

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 05/2020

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

श्री मुलाराम कुमावत पुत्र श्री रामप्रताप  
कुमावत जाति कुमावत मैसर्स दादाजी गृह  
उधोग, आनन्द विहार कोलोनी, घंटाला  
रोड आई.टी.आई के सामने बांसवाड़ा।  
स्थायी पता- कुम्हारो का बाँस, मु.पो.-  
सुरघना चौहानान त.व जिला बीकानेर  
(राज.)।

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री मुलाराम कुमावत पुत्र श्री रामप्रताप कुमावत


अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27-01-2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 18-12-2019 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 14-02-2019 को 06.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स दादाजी गृह उधोग, आनन्द विहार कोलोनी, घंटाला रोड आई.टी.आई के सामने बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मुलाराम कुमावत पुत्र श्री रामप्रताप कुमावत जाति कुमावत उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर नमकीन (बीकानेरी भुजिया) के 400 ग्राम के 50 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमें मिस ब्राण्ड, अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त नमकीन (बीकानेरी भुजिया) के 400 ग्राम वाले 8 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जाँच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 256 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। शेष बचे माल 196.800 कि.ग्रा. को सीज करके विक्रेता को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने पाबंद किया। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन - 2019 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ लायसेंस हेतु फार्म बी प्रस्तुत किया। जाँच हेतु खरीदशुदा उक्त आठ पैकेट को खोलकर प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली जारों में भर कर प्रत्येक जार में फॉर्मेलीन की 40 बुंद डालकर प्रत्येक जार को मुह दक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। तथा प्रत्येक जार पर खोले हुए दो पैकेट बांध दिये। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया नमकीन (बीकानेरी भुजिया) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन किया है।



निर्णयन अधिकारी  
जिला कलक्टर  
(राज.)

प्रकरण दिनांक 10-01-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27-01-2020 को अभियुक्त श्री मुलाराम कुमावत पुत्र श्री रामप्रताप कुमावत जाति कुमावत मैसर्स दादाजी गृह उद्योग बाँसवाडा ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 06-03-2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया नमकीन (बीकानेरी भुजिया) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया नमकीन (बीकानेरी भुजिया) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर जाकर श्री मुलाराम कुमावत पुत्र श्री रामप्रताप कुमावत जाति कुमावत मैसर्स दादाजी गृह उद्योग बाँसवाडा को रुपया 15000/- (पन्द्रह हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का.मु.चि. एवं स्वा. अ. बाँसवाडा एवं शुदा माल 196.800 कि.ग्रा. का नियमानुसार निस्तारण कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।  
निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।



( नरेश चुनकर )

न्यायनिर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

